



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022020-215983
CG-DL-E-06022020-215983

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2020/माघ 14, 1941

No. 491]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2020/MAGHA 14, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2020

का.आ. 525(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 फरवरी, 2020 को वह तारीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (11) और उपधारा (12) के उपाबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 2/31/सीएए-2013-सीएल-V(भाग)]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2020

S.O. 525(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 3rd day of February, 2020 as the date on which the provisions of sub-sections (11) and (12) of section 230 of the said Act shall come into force.

[F. No. 2/31/CAA-2013-CL-V(Part)]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

677 GI/2020